न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(10)

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-332/94 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.02.1993 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 86/91-92/अपील.

राधाबाई पिता पुण्डलीक महाजन
निवासी ग्राम टिटगांवकलां, तहसील बुरहानपुर,
जिला पूर्व निमाड़ (खण्डवा) .....आवेदक

विरूद्ध

गंगाराम पिता देवचंद महाजन
निवासी ग्राम टिटगांवकलां, तहसील बुरहानपुर,
जिला पूर्व निमाड़ (खण्डवा) .....अनावेदक

श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/2/19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर पारित दिनांक 06.02.1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका राधाबाई ने एक आवेदन पत्र तहसीलदार, बुरहानपुर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत पेश किया गया कि ग्राम टिटगांवकलां में उसके नाम भूमि सर्वे क्र. 50/2 रकबा 0.95 हैक्टेयर तथा अनावेदक के नाम पर ख. नं. 50/1 रकबा 1.59 हैक्टेयर है। अनावेदक द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, कब्जा दिलाया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 04/अ-70/89-90 दर्ज कर दिनांक 12.11.1991 को आदेश पारित कर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 250 का आवेदन पत्र निरस्त किया

गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31.01.1992 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 06.02.1993 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखते हुए प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1)अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को और तथ्यों को समझने में गंभीर अवैधता व अनियमितता की है, जिसके कारण यह आदेश रद्द किये जाने योग्य है।

(2)अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.10.1991 को अंतरिम आवेदन पत्र संहिता की धारा 250(3) पर दोनों पक्षों की बहस सुनी थी और इसी आवेदन पत्र पर आदेश के लिए दिनांक 15.10.1991 को और बाद में 12.11.1991 को नियत किया गया था, तो उनके द्वारा इस आवेदन को खारिज करना चाहिए था या स्वीकार करना चाहिए था, न कि बिना जांच-पड़ताल किये व दोनों पक्षों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार बिना सुनवाई का अवसर दिये संहिता की धारा 250 का आवेदन पत्र को ही खारिज करना चाहिए था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून की व प्रक्रिया को समझने की भूल की गई है और बिना जांच किये ही अवैध आदेश पारित किया गया है। इस कारण यह आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रारंभिक आपत्ति सुने, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना गुणागुण के आधार पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता। गुणागुण के आधार पर आदेश पारित करने के पूर्व प्रारंभिक आपित्तयां प्रथमत: विनिश्चत की जानी चाहिए।

(3)आवेदिका को उसके आवेदन पत्र के तथ्यों को विधिवत् सबूत करने का अवसर नहीं दिया, जिसके कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किये जाने से यह आदेश विधिसंगत न होने से रद्द किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका को उसके सबूत

करने का अवसर दिये बिना व बिना जांच किये ही तथ्यों के बिना दोषपूर्ण आदेश दिया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उनके द्वारा तर्कों के समर्थन में न्याय दृष्टांत 1992 आर.एन. 419 एवं 1965 आर.एन. 527 प्रस्तुत करते हुए निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से इस बात का पता नहीं चलता कि अनावेदक ने सीमांकन के अभिलेख पर हस्ताक्षर किये हैं या नहीं, क्योंकि सीमाबंदी बिना चांदों के सहारे मात्र सहमति से की जाना अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित किया है, ऐसी स्थिति में सीमांकन कार्य को प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। अतः तहसीलदार द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.1993 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर